

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 3 (7) शिक्षा-4/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 25.08.2021

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
10. कुलपति, पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
11. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
13. कुलपति, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
14. कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
16. प्रेसिडेन्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।

विषय:- कोविड-19 वैश्विक महामारी के मध्यनजर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दिनांक 1.9.2021 से शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 12.8.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कम होते प्रभाव को मध्यनजर रखते हुए गृह विभाग ने संदर्भित दिशानिर्देश जारी कर 1.9.2021 से विभिन्न शर्तों के तहत शिक्षण संस्थान खोले जाने की अनुमति प्रदान की है।

अतः गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश क्रमांक प. 7 (1) गृह-7/2021, दिनांक 12.8.2021 की प्रति संलग्न कर लेख है कि इन दिशानिर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 1.9.2021 से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ की जावें।

इस हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करें:-

1. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं इनमें कार्यरत अध्यापकों, कर्मचारियों, सभी कार्मिकों का अतिशीघ्र टीकाकरण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. विद्यार्थियों की परिसर में उपस्थिति 50 प्रतिशत ही रखी जावे। इस हेतु विद्यार्थियों को एक दिन छोड़कर (Alternate days) बुलवाया जावे।
3. परिसर में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जावे।
4. Contact tracing को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर दर्ज किया जावे।

5. भौतिक उपस्थिति वैकल्पिक होगी। विद्यार्थियों को अनुपस्थित मार्क नहीं किया जाए एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था को बन्द रखा जावे ताकि संक्रमण फैलने की संभावना नहीं रहे।
 6. ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन उन विद्यार्थियों के लिए किया जायेगा जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होना चाहते। ऑनलाईन क्लासेज को प्रोत्साहित किया जाये।
 7. विद्यार्थियों को संस्थानों में मोबाईल फोन की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि कान्टेक्ट ट्रेसिंग में सहायक हो सके एवं राजकोविड इन्फो एवं आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग किया जा सके।
 8. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाए कि वो अपने मोबाईल में राजकोविड इन्फो एवं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें एवं ऐप पर अपनी स्थिति को अपडेट रखें।
 9. इस बाबत विभाग द्वारा समय समय पर जारी अन्य सभी निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित की जावे।
- संलग्न- गृह विभाग के दिशा-निर्देश।

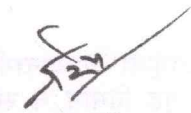
भवदीय,


(एन.एल.मीना)

शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षामंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. कुलसचिव, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
6. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. कुलसचिव, समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांक : प.7(1)गृह-7/2021

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-7) विभाग

जयपुर, दिनांक : 12.08.2021

आदेश

विषय : विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियां हेतु दिशा-निर्देश।

मंत्रीमंडल सचिवालय के आदेश दिनांक 24.07.2021 द्वारा राज्य में शिक्षण संस्थानों को पुनः प्रारम्भ करने के लिए दिनांक एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के निर्णय हेतु मंत्रिगण की समिति का गठन किया गया है, जिसका नोडल विभाग गृह विभाग है। उक्त समिति द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए शिक्षण संस्थानों को निम्नानुसार खोलने का निर्णय लिया गया है।

1. राज्य के सरकारी/निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालयों (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दिनांक 01 सितम्बर 2021, बुधवार से प्रारम्भ किया जा सकेगा।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक (1st dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
3. प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक (1st and 2nd dose) की अनिवार्यता की शर्त के साथ दिनांक 01 सितम्बर 2021, बुधवार से बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ संचालित हो सकेंगे, साथ ही संबंधित संस्थान द्वारा e-intimation के माध्यम से ऑनलाइन वेब पोर्टल <https://covidinfo.rajasthan.gov.in> पर संस्थान में बैठक क्षमता (Seating capacity) एवं कुल स्टाफ/कार्मिकों के प्रतिशत वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी।
4. शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस/ऑटो/कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।
5. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की (Alternate sitting) बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
6. ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का Preferred माध्यम रहेगा एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाईन माध्यम से संचालित रहेंगी।

8. राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान) द्वारा निम्न की पालना सुनिश्चित की जायेगी:-

a. शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा वे माता-पिता/अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा (Attendance optional) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।

b. शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा (Assembly) का आयोजन नहीं किया जायेगा।

c. अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "No Mask No Entry" की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी/स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।

d. शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे।

e. मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) का ध्यान रखा जावे एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी/अभिभावक/कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो एवं संस्थान परिसर में स्थित कैटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा।

f. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर, हैंडलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।

g. संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज कराना अनिवार्य होगा।

h. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कारित किया जावे।

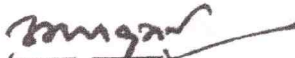
i. संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी/शिक्षकगण/कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जायेगा।

j. किसी विद्यार्थी/शिक्षकगण/कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल/कोविड सेन्टर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रेफर/भर्ती करवाया जायेगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जायेगी।

9. प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को खोले जाने के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत दिशा-निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना की मॉनिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये यह अनिवार्य है कि समस्त विद्यालय द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।


(अमय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।


(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव,
गृह(अमरदा प्रबंधन)